न्यायालय लेण्ड रेकार्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 22 / 18
दायर दिनांक – 02 / 02 / 2018
निर्णय दिनांक –03 / 04 / 2018

अनवान

1. दाखीबाई पत्नि मांगीलाल प्रजापत, निवासी चौकडी तह0– रेलमगरा
2. रामू बाई बेवा लालू दरोगा, निवासी चौकडी तह0– रेलमगरा

वादी गण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा।

प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129, 111 भू राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129, 111 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि ग्राम चौकडी पटवार हल्का चौकडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द की सरहद में स्थित आराजी संख्या 1738 / 1243 रकबा 05–00 पांच बिघा भूमियां स्थित थी। उक्त भूमियों का विभाजन आदेश दिनांक 13.06.2016 के अनुसार प्रार्थी संख्या 1 के आराजी संख्या 1738 / 1243 मीन रकबा 02–00 बिघा व प्रार्थी संख्या 2 के आराजी संख्या 1738 / 1243 / 1 रकबा 03–00 बिघा का विभाजन कर उक्त प्रार्थीगण अपनी भूमियों पर उपयोग उपभोग कर रहे है । प्रमाण में नकल जमाबन्दी व नक्शाट्रेश की प्रमाणित प्रतिलिपी साथ संलग्न है। प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1738 / 1243 मीन 1738 / 1243 / 1 कुल किता 2 कुल रकबा 05–00 बिघा के बीच में व उक्त आराजीयात के चारों तरफ किसी प्रकार का कोई सीमांकन बाबत् स्थाई रूप से कोई चिन्ह अंकित नहीं है न ही मौक पर विद्यमान है जिससे प्रार्थीगण व प्रार्थीयागण की आराजीयात के पडोसियों के बिच सीमा को लेकर हमेशा विवाद होने की आशंका बनी रहती है जिससे प्रार्थीगण अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजीयात के चारो तरफ स्थाई रूप से सीमांकन के रूप में पत्थरगढी करवाना चाहते है ताकि भविष्य में कभी सीमा सम्बन्धित प्रार्थीगण के बीच एवं अन्य पडोसियों के बीच कोई विवाद नहीं हो। इस बाबत् प्रार्थीगण के लिए यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षी के प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। इस बाबत् यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1738 / 1243 मीन व 1738 / 1243 / 1 व इन आराजीयात के चारों तरफ के पडोसियों की आराजीयात के बीच किसी प्रकार के स्थाई सीमा चिन्ह नही होने से पडोसी आये दिन सीमा सम्बन्धित

विवाद करते रहते ह। जिस बाबत् प्रार्थीगण ने दिनांक 01.11.2017 को सीमा सम्बन्धित जानकारी हेतु प्रार्थना पत्र विपक्षी के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर विपक्षी द्वारा मौके पर किसी प्रकार की कोई सीमा जानकारी नहीं की गई जिस कारण प्रार्थीगण द्वारा विवश होकर यह प्रार्थना पत्र न्यायालय आपमें प्रस्तुत करना पड रहा है। प्रार्थना पत्र का हेतु जब जब प्रार्थीगण ने विपक्षी को सीमा जानकारी कराने के लिए कहा एवं दिनांक 01.11.2017 को सीमा जानकारी करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर विपक्षी ने प्रार्थीगण को उनकी आराजी की सीमांकन नहीं किये जाने प्रार्थीगण स्थाई सीमांकन पत्थरगढी का हेतु दिनांक 01.11.2017 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के स्वामित्व की आराजी संख्या 1738/1243 मीन व 1738/1243/1 के बीच एवं इन आराजीयात के चारों दिशाओं की आराजीयात के मध्य पत्थरगढी कराने का आदेश तहसीलदार रेलमगरा के नाम पर फरमाया जावें। खर्चा नियमानुसार जमा कराने को तैयार है।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा एवं पत्थरगढी किये जाने पर अनापत्ति जाहिर किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129, 111 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के स्वामित्व की आराजी संख्या 1738/1243 मीन व 1738/1243/1 के मध्य प्रार्थीगण की उपस्थिति एवं इन आराजीयात के चारों दिशाओं की आराजीयात के मध्य सम्बन्धित खातेदारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। वक्त मौका कमिश्नर प्रार्थीगण 1000/– रूपये कमिश्नर शुल्क अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03/04/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
लेण्ड रेकार्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा